अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–114 / 16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4(H)के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
	—: आदेश :— इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04 / स0भू0 (दिशा निर्देश)–95 / 2016, 2074 / रा0 राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता पाकुड के आदेश ज्ञापांक 479 / रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम / खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में मौजा देवीनगर थाना संख्या–118 अनाबादी खाता संख्या–81 दाग संख्या–483 रकबा–01 बीघा 13 कट्ठा 05 धूर किस्म–पोखर राजस्व पंजी–।। के होल्डिंग संख्या– 222 में भागीरथी पाण्डेय एंव गंगा पाण्डेय ग्राम–देवीनगर के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के कायम जमाबंदी विलोपन हेतु प्रारम्भ किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा राजस्व दस्तावेज एंव स्थलीय जॉचोपरान्त अनुशंसित जॉच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा देवीनगर थाना संख्या–118 अनाबादी खाता संख्या–81 दाग संख्या–483 रकबा–01 बीघा 13 कट्ठा 05 धूर विगत सर्वे खतियान में किस्म–पोखर कहकर दर्ज है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि बिना आधार प्रविष्टि एंव साक्ष्य दस्तावेज के राजस्व पंजी–।। में जमाबंदी फर्जी तरिके से जमाबंदी कायम की गई है, जो भूमि सुधार के उदेश्यों को विफल करने हेतु सरकारी भूमि को हड़पने कब्जा करने का प्रयास है। संबंधित जमाबंदी रैयत को इस कार्यालय के ज्ञापांक–524 / रा0 दिनांक–18.07.2016 से निर्गत प्रथम नोटिश तदुपरान्त प्र्याप्त अवसर प्रदान करते हुए निर्गत द्वितीय नोटिश के माध्यम से अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज समर्पित करने हेतु दिए गए निदेश के आलोक में जमाबंदी रैयत के द्वारा एक निबंधित केवाला संख्या–2170 दिनांक–09.12.1960 के साथ–साथ तत्कालीन भुतपूर्व जमींदार द्वारा कथित रूप से निर्गत परवाना / हुक्मनामा एंव राजस्व भू–लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है। अनाबादी खाता की भूमि के बिक्रेता के स्वत्वाधिकार की जॉच के बिना अन्तरण को वैध नहीं माना जा सकता है साथ ही विरोधाभाषी रूप से वर्णित दाग की भूमि तत्कालीन जमींदार से बन्दोबस्ती स्वरूप प्राप्ति सन्दर्भित दावे के समर्थन में अनिबंधित हुक्मनामा प्रस्तुत किया जाना पूरी तरह संदेहास्पद है। भू–लगान रसीद किसी भूमि पर स्वत्व के दावे का दस्तावेज नहीं है। अतः समर्पित जॉच प्रतिवेदन आलोक में मौजा देवीनगर थाना संख्या–118 अनाबादी खाता संख्या–81 दाग संख्या–483 रकबा–01 बीघा 13 कट्ठा 05 धूर किस्म–पोखर की राजस्व पंजी–।। के होल्डिंग संख्या 222 में भागीरथी पाण्डेय एंव गंगा पाण्डेय ग्राम–देवीनगर के नाम कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। स्वीकृत्यादेश हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को भेजा। लेखापित एवं संशोधित 01/06/21	

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2021.08.05 18:23:04 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:3002:3d33:3f57:fffb

Scanned with CamScanner